Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

रघुवीर सिंह पुत्र लाधूसिंह जाति राजपूत साकिन कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बनाम
(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ बैहैसियत प्रतिनिधी भू—धारक
(2) रामप्यारी पत्नी लाधुसिंह जाति राजपूत साकिन कानौर तहसील सूरतगढ़

जीसीएमएस न.—2018 / 00270

किस्म मुकदमाः—अपील प्र0सं0:— 293 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.11.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ ने पटवारी हल्का सोमासर की रिपोर्ट के आधार पर जैर प्रकरण भूमि चक 168 आरडीएल के मुरब्बा न. 113 / 34 के किला न. 4, 5, 14 ता 17, 24 ता 25 की 2.024 है0 पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए धारा 22 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत प्रकरण संख्या 38 / 2018 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। अपीलाधीन आदेश का नोटिस दिनांक 08.10.2018 को जारी किया गया जिसकी सूचना अपीलांट को दिनांक 16.10.2018 को हुई एवं उसी दिन पत्रावली में तारीख पेशी नियत थी। प्रकरण में अपीलांट का वकील ने हाजिर होकर जवाब एवं साक्ष्य हेतु समय चाहा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत जाकर पारित कर दिया। अपीलांट व उसकी माता रामप्यारी के नाम से जैर अपील रकबा आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 345 / 83 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.1984 द्वारा पुख्ता आवंटन है एवं आवंटन की दिनांक से अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए आनन फानन में प्रिण्टैड परफोर्मा पर ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया। उक्त पुख्ता आवंटन की समस्त किश्ते राजस्व कोष में जमा करवा चुके है एवं खातेदारी प्राप्त करने के पूर्ण पात्र है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिरूद्व होने से निरस्त किया जावे। रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि जैर अपील आदेश अपीलांट को को साक्ष्य एवं सुनवाईका पूर्ण अवसर देकर एवं सभी तथ्यों का पूर्णतः अवलोकन करने के उपरांत ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फारमाई जावे। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा उभय पक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेश की प्रतियों का अवलोकन करने से पाया कि जैर अपील रकबा अपीलांट व उसकी माता को सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.1986 को पुख्ता आवंटन हो चुका है। जैर अपील रकबा शुद्ध आराजीराज नहीं रहा है। आवंटित रकबा पर धारा 22 की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायायालय का अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को [illegible] जावे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस लौटाया जावे।पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara Date: 2024.12.20 11:22:30 IST Reason: SelfAttested (कन्हैया लाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर	